न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–02/2021
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–28.01.2021
निर्णय दिनांक–18.03.2024

1. जगदीश पुत्र रामचन्दा जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. मदन दत्तक पुत्र रामकरण जाति नाई जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक
3. रामप्रसाद पुत्र रामकरण जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. रामस्वरूप पुत्र रामचन्दा जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटू पुत्र अमोलक जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. घासी पुत्र अमोलक जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. राजू पुत्र अमोलक जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) (डिलिट)
4. नन्द बेवा अमोलक जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. कजोड़ पुत्र सुवा जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. कमला पत्नि मोहन जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. कैलाश पुत्र कल्याण जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. किशनलाल पुत्र मोहन जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. गोपाल पुत्र कल्याण जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. धर्मराज पुत्र छितर जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. मुकेश पुत्र छितर जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. लाला पुत्र छितर जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
13. रतन बेवा छितर जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

14/1 रामअवतार पुत्र जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
14/2 बन्ना पुत्र जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
14/3 रामकन्या पत्नि जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
15. नन्दा पुत्र सुवा जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
16. नाथी पुत्री रामकरण जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
17. रामफूल पुत्र कल्याण जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
18. मुकेश पुत्र मोहन जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
19. [illegible] पुत्र मोहन जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
20. तहसीलदार पीपलू

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री चतुर्भुज गुर्जर
अधिवक्ता अप्रार्थीया–श्री राजेन्द्र गुर्जर, श्री शिवजीराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना त्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि आराजी ख0न0 1007 रकबा 0. 379 हैक्ट. किस्म गै.मु.चाह वाके ग्राम डोडवाडी पटवार हल्का डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। सका अंकन खाता संख्या 121 ग्राम डोडवाडी की जमाबंदी संवत् 2072–75 में हो रखा है। उक्त चाह में वेदक संख्या 01 का 1/12, आवेदक संख्या 02 का 1/24, आवेदक संख्या 03 का 1/15 व आवेदक संख्या का 1/12 हिस्सा है। उक्त चाह में आवेदकगण का जो उक्तानुसार हक व हिस्सा है। उसके आवेदकगण लिक, खातेदार, काबिज काश्तकार है। आवेदकगण कदीम से अपने उक्त कुए पर संलग्न नक्शा शीट में प्रदर्शित म डोडवाडी से जो माल का रास्ता जिसे नक्शा शीट में डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है। उस रास्ते से होते हुए सरा नम्बर 1005 की उत्तरी मेड के सहारे बने हुए रास्ते पर होकर खसरा नम्बर 1004 की पूर्वी मेड के सहारे हारे बने हुए रास्ते से होकर अपने कुए खसरा नम्बर 1007 तक आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर वेदकगण कुए पर सिंचाई के साधन इंजन पाईप ले जाते है तथा इस चाह से अपनी भूमियों को सिंचित करते है। उपरोक्त रास्ते से होकर आवेदकगण अपने उक्त कुए पर कदीम से आते जाते रहे है। इस रास्ते के लावा के अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदकगण कुए पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगण उक्त रास्ते से कर आवेदकगण को अपने उक्त कुए पर आने जाने तथा कृषि यन्त्रो व सिंचाई के साधनो को लाने व ले जाने में कावट पैदा करने लगे है। आवेदकगण के कुए पर जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक स्ता नहीं है। इसलिए आवेदकगण को प्रतिपक्षीगण की उक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1005 के उत्तरी मेड पर ते हुए खसरा नम्बर 1004 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे बना हुआ रास्ता आवेदकगण के कुआ आराजी ख0न0 07 तक जा रहा है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर वेदकगण को अपने गै.मु.चाह ख0न0 1007 रकबा 0.0379 हैक्ट. वाके ग्राम डोडवाडी में आने जाने हेतु ग्राम डवाडी से माल में जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ता जिसे संलग्न शीट में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है, के पश्चिम ग की ओर सिवायचक भूमि ख0न0 1000 में बने हुए रास्ते से प्रतिपक्षीगण के खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 05 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे बने हुए रास्ते पर होकर ख0न0 1004 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे 15 फिट का रास्ता आवेदकगण को उपलब्ध करवाया जावे तथा इसी रास्ते की राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में तरमीम वायी जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 10 ता 13 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व अप्रार्थी संख्या 04, 05, 14/1, 14/2 व 14/3 की और से अधिवक्ता श्री शिवजीराम चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। उक्त अप्रार्थीगण को जवाब हेतु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के उक्त अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया जा चुका है। शेष प्रतिपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।

तहसीलदार पीपलू से प्रकरण में रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 514 दिनांक 21.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की उक्त खातेदारी में पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता अत्यान्तिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 15 फिट व लम्बाई 470 फिट है। जिनका रकबा भूमि आराजी ख0न0 1000 में से 00-02 बीघा, ख0न0 1005 में से 00-01 बीघा व ख0न0 1004 में से 00-02 बीघा है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर से दोगुनी प्रतिकर राशि 96550 रूपये है। प्रस्तावित रास्ता ट्रेस में चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे-पेड़/दीवार इत्यादी नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से संबंधित नही है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 1007 ग्राम डोडवाडी पटवार हल्का डोडवाडी में स्थित है। उक्त चाह में आवेदक संख्या 01 का 1/12, आवेदक संख्या 02 का 1/24, आवेदक संख्या 03 का 1/15 व आवेदक संख्या 04 का 1/12 हिस्सा है। आवेदकगण कदीम से अपने उक्त कुए पर संलग्न नक्शा शीट में प्रदर्शित ग्राम डोडवाडी से जो माल का रास्ता जिसे नक्शा शीट में डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है। उस रास्ते से होते हुए खसरा नम्बर 1005 की उत्तरी मेड के सहारे बने हुए रास्ते पर होकर खसरा नम्बर 1004 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे बने हुए रास्ते से होकर अपने कुए खसरा नम्बर 1007 तक आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर आवेदकगण कुए पर सिंचाई के साधन इंजन पाईप ले जाते है तथा इस चाह से अपनी भूमियों को सिंचित करते रहे है। इस रास्ते के अलावा के अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदकगण कुए पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगण उक्त रास्ते से होकर आवेदकगण को अपने उक्त कुए पर आने जाने तथा कृषि यन्त्रो व सिंचाई के साधनो को लाने व ले जाने में रूकावट पैदा करने लगे है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को अपने गै.मु.चाह ख0न0 1007 ग्राम डोडवाडी में आने जाने हेतु ग्राम डोडवाडी से माल में जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ता, जिसे संलग्न शीट में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है, के पश्चिम दिशा की ओर सिवायचक भूमि ख0न0 1000 में बने हुए रास्ते से प्रतिपक्षीगण के खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 1005 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे बने हुए रास्ते पर होकर ख0न0 1004 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे 15 फिट चौडा रास्ता आवेदकगण को उपलब्ध करवाया जावे तथा नक्शा शीट में तरमीम की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहूँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है एवं प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है तथा यह जोत में सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए नहीं है। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहूंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं बताया गया है। मुताबिक तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण भी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 1000, 1004 व ख0न0 1005 वाके ग्राम डोडवाडी में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 1007 तक आने जाने हेतु तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ते अनुसार तक 15 फिट चौडाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं एवं उक्त प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए आमजन के लिए रहेगा। तहसीलदार पीपलू उक्त प्रस्तावित रास्ते का अंकन गै.मु. रास्ते के रूप खाता संख्या 01 में करे। तहसीलदार पीपलू उक्त रास्ते में काम आने वाली अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 1004 व 1005 का क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर रास्ते हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि के मालियत का मूल्याकंन करे तथा तदअनुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने के उपरान्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। साथ ही भूमि आराजी ख0न0 1000 सिवायचक भूमि होने के कारण उक्त खसरा नम्बर में से प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का मूल्यांकन करे तथा तदअनुसार प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में भुगतान करवाया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान प्रतिपक्षीगण को किये जाने/जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त नवीन रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक [illegible].03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner